सबका विकास हमारा संकल्प, हर वादा पूरा करेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्व-सहायता समूहों की दीदियों के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम

भोपाल, 28 सितम्बर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम जगदीशपुर में स्व-सहायता समूहों की दीदियों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का 126वां एपिसोड श्रवण करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के समग्र विकास के लिए कई मिशन चला रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा, सबका विकास हमारा संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए हम हर वादा निभाएंगे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और अपील की कि वे अपने जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करें. उन्होंने कहा कि नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे त्यौहारों में सिर्फ स्वदेशी और भारत निर्मित वस्तुएं ही खरीदें. इस पहल से न केवल हर घर में त्यौहार की खुशी बढ़ेगी, बल्कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने किसानों को भावांतर योजना के लिए 5 से 25 अक्टूबर तक पंजीयन कराने का निर्देश दिया. योजना के तहत 1 नवम्बर से 31 जनवरी 2026 तक बेची गई सोयाबीन की फसल पर समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल से कम मिलने पर अंतर राशि सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जाएगी. डॉ. यादव ने पहली बार ग्राम जगदीशपुर का दौरा कर गोंडवाना साम्राज्य के ऐतिहासिक चमन महल का अवलोकन किया और स्वदेशी उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया. स्टॉल में मिट्टी के दिए, तवे, कुल्हड़, मटके और अन्य पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित थे. मुख्यमंत्री ने स्वयं मिट्टी के दिए और तवे खरीदे और स्टॉल स्वामियों को नगद भुगतान भी किया.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तीन महिलाओं—विजयमाला, गीता बाई और फूलवती बाई—को 'एक बगिया मां के नाम' अभियान के तहत पौधा देकर सम्मानित किया. उन्होंने स्वयं चमन महल परिसर में कदम्ब का पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाई. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का भी श्रवण किया गया. प्रधानमंत्री ने त्यौहारों में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और 'वोकल फॉर लोकल' के सिद्धांत को अपनाने की अपील की. उन्होंने खादी की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र किया और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर कम से कम एक खादी वस्त्र खरीदने का संकल्प लेने को कहा. कार्यक्रम में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर नोरंग सिंह गुर्जर और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और अन्य नागरिक भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से हमारे कारीगर और शिल्पकार प्रोत्साहित होंगे, उनकी आजीविका सुरक्षित होगी और त्यौहारों का उल्लास हर घर में बसा रहेगा. उन्होंने सभी को पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की प्रेरणा दी.

मऊगंज तहसीलदार बीके पटेल को किया निलंबित

आमजनों से अभद्रता अस्वीकार्य : मुख्यमंत्री

भोपाल, 28 सितम्बर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जनता के साथ संवेदना, सहानुभूति और मददगार के रूप में व्यवहार करना लोक सेवक का प्रथम कर्तव्य है. लोक सेवकों द्वारा आमजनों से अभद्रता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मऊगंज जिले के प्रभारी तहसीलदार बी.के. पटेल को आमजन से अभद्र व्यवहार और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के संदर्भ में की गई है, जिसमें तहसीलदार पटेल ग्राम गनिगवां, बूढ़र देवतालाब तहसील में अशोभनीय व्यवहार करते दिखाई दिए. जानकारी के अनुसार, ग्रामीण ने भूमि संबंधी शिकायत पर तहसीलदार से जवाब मांगा था. इस दौरान बहस बढ़ गई और पटेल आपा खो बैठे. आरोप है कि उन्होंने कुर्सी पर बैठे-बैठे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ग्रामीण को धमकाने की कोशिश की. ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय मऊगंज तय किया है.

कलेक्टर मऊगंज को निर्देश दिए गए हैं कि तहसीलदार के खिलाफ लगे आरोपों की विस्तृत जांच रिपोर्ट सात दिनों में प्रस्तुत की जाए.

एक नजर में

डबरा में झांसी-इटावा एक्सप्रेस पर पथराव

ग्वालियर, 28 सितम्बर. मप्र में ट्रेनों पर पथराबाजी की घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनी हुई हैं. ताज़ा मामला ग्वालियर जिले के डबरा रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां रविवार को झांसी-इटावा एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया. अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में बैठे यात्री सहम गए और कुछ देर के लिए कोच में अफरातफरी का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, पथराव के दौरान कोच की एक खिड़की पर पत्थर आकर लगा. हालांकि गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई. यात्रियों का कहना है कि जैसे ही खिड़की पर जोरदार आवाज हुई, सभी लोग डरकर सीट से उठ खड़े हुए और बच्चों व महिलाओं में विशेष रूप से घबराहट फैल गई. यात्रियों ने इसे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गंभीर घटना बताया है.

नशीली सिरप के साथ दो गिरफ्तार

रीवा,28 सितम्बर. मध्यप्रदेश के रीवा में नशीली दवाओं की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है. कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देकर एक महिला को 360 शीशी नशीली सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया. इसी दौरान पुलिस ने एक तस्कर को उसकी प्रेमिका और नाबालिग के साथ पकड़ा, जिनसे 105 शीशी सिरप बरामद हुई. पुलिस के अनुसार तस्कर अपनी गर्लफ्रेंड को आगे बैठाकर टीम को चकमा देने की कोशिश कर रहा था. लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसकी चाल नाकाम कर दी. सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

आधार अपडेट अभियान का दूसरा चरण शुरू

भोपाल ,28 सितम्बर. प्रदेश में आधार सेवा से कई लाख बच्चे इन सभी से वचिंत हैं .1 अक्टूबर से प्रदेशभर के स्कूलों में आधार अपडेट का विशेष अभियान शुरू होगा. इसका उद्देश्य है कि 5 और 15 वर्ष की आयु पार कर चुके छात्रों का बायोमेट्रिक डेटा अपडेट किया जाए.

सत्ता का नशा मर्यादा भुला देता है

सतना,28 सितम्बर.प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान ने सतना की राजनीति को गर्मा दिया है.

कांग्रेस विधायक एवं जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पर सीधा हमला बोला. उन्होंने तंज कसा कि विजयवर्गीय को सतना आने के लिए अपनी तारीख चार बार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस उनका जोरदार 'स्वागत' करने के लिए तैयार है. विधायक कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता विजयवर्गीय का स्वागत एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में मंत्री रिश्तों की मर्यादा भूल चुके हैं. कुशवाहा ने सवाल उठाया क्या बहन सिर्फ राखी बांधने के लिए होती है?

जिस घर में नारी का सम्मान, उस घर में ईश्वर का वास : मंत्री गौर

महिलाओं व वयस्क लड़कियों को वितरित किए सेनेटरी पैड

भोपाल,28 सितम्बर. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने रविवार को सेवा पखवाड़ा के तहत 2000 से अधिक महिलाओं और वयस्क लड़कियों को सेनेटरी पैड और भोजन वितरित किया.

उन्होंने कहा कि जिस घर में नारी को सम्मान मिलता है, वहीं समृद्धि और ईश्वर का वास होता है. ऐसे घर की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता. राज्यमंत्री श्रीमती गौर नवरात्रि के पावन अवसर पर कृष्णा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा बागमुगालिया के वार्ड-53 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं. राज्यमंत्री गौर ने शक्ति स्वरूपा माताओं-बहनों से संवाद करते हुए कहा कि नारी का स्वास्थ्य ही परिवार और समाज की सशक्त नींव है. उन्होंने महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया. उन्होंने कहा कि इस पहल से महिलाओं के जीवन में स्वास्थ्य-सुरक्षा व आत्मविश्वास का संचार होगा. राज्यमंत्री गौर ने संस्था की अध्यक्ष किरण खरे, मोनिका ठाकुर, पार्षद प्रताप वारे सहित सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बहनें उपस्थित रहीं.

बुधनी में दीवानगंज के तीन युवक डूबे

एक युवक को बचाया, 2 की तलाश जारी

सलामतपुर, 28 सितंबर. दीवानगंज निवासी तीन युवक मोटरसाइकिल से रविवार सुबह बुधनी के नर्मदा घाट पर स्नान के दौरान तीन युवक गहरे पानी में डूब गए.

स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दो अन्य युवक लापता हो गए. पुलिस और गोताखोरों द्वारा लापता युवकों की तलाश जारी है. यह घटना तब हुई जब तीनों युवक सलकनपुर देवी धाम जा रहे थे और नर्मदा घाट पर स्नान करने रुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. लगातार बारिश के बावजूद लापता युवकों की खोजबीन जारी है. लापता युवकों की पहचान 25 वर्षीय नीलेश साहू और योगेश साहू के रूप में हुई है, जो दीवानगंज, जिला रायसेन के निवासी हैं. बचाए गए युवक का नाम 25 वर्षीय तोरण यादव है. बुधनी थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी ने बताया कि नीलेश और योगेश की तलाश जारी है. एसडीआरएफ टीम को भी घटना की सूचना दे दी है. स्थानीय सहयोग से बचाव अभियान चलाया जा रहा है. तीनों युवक बाइक से दीवानगंज से सलकनपुर मां विजासन देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

महिलाओं और बच्चों के लिए लागू होंगी नई योजनाएं : सावित्री ठाकुर

मां पीताम्बरा पीठ पर की पूजा

दतिया, 28 सितंबर. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचीं. रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

मंत्री ठाकुर ने मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की. वे महाभारतकालीन वन खंडेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचीं और वहां जलाभिषेक किया. मंत्री ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दतिया धर्म और आस्था की नगरी है. यहां आकर आत्मिक शांति और ऊर्जा मिलती है. मां पीताम्बरा

और भगवान महादेव से मैंने देश और प्रदेश की तरक्की, महिलाओं की उन्नति और समाज में सुख-समृद्धि की प्रार्थना की है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है. आने वाले समय में मध्यप्रदेश के सभी जिलों में महिला और बाल विकास से जुड़ी नई योजनाएं लागू की जाएंगी.

विकसित भारत की दिशा में स्वदेशी अपनाओ अभियान मजबूत

भोपाल, 28 सितम्बर. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ अभियान विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है.

उन्होंने यह बातें रविवार को लखेरापुरा मार्केट के दुकानदारों से बातचीत के दौरान कही. देवड़ा ने कहा कि इस समय नवरात्रि चल रही है और दशहरा-दीपावली आने वाले हैं, इसलिए सभी का दायित्व है कि स्वदेशी अपनाएं और भारत को समृद्ध बनाएं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प का हवाला देते हुए कहा कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा.

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी संकल्प पत्र स्वयं भरा. उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से अपील की कि वे भी स्वदेशी सामग्री के क्रय-विक्रय का संकल्प लें. देवड़ा ने उपस्थित लोगों को सामूहिक रूप से स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और अभियान के महत्व पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को जागरूक किया और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी.

पोस्टर चिपकाए

देवड़ा ने लखेरापुरा मार्केट का दौरा कर दुकानों में स्वदेशी अपनाओ के स्लोगन वाले पोस्टर चिपकाए. उन्होंने कहा, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार और स्थानीय उत्पादों पर गर्व करने का संदेश दिया. उप मुख्यमंत्री ने ग्राहकों को भी जागरूक किया कि वे स्वदेशी उत्पाद खरीदें और स्थानीय व्यवसायियों को प्रोत्साहित करें.

पिता ने बेटी की हत्या कर शव नदी में फेंका

मुरैना. शहर में एक ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र शिवनगर निवाशी दिव्या की गोली लगने से हुई मौत के बाद परिजनों ने रात में ही शव को नदी में फेंका दिया. जिससे किसी को घटना का कोई पता न लग सके, लेकिन परिजनों के छुपाए गए सारे राज एक कॉल ने उजागर कर दिए. सिविल लाइन थाना पुलिस को एक अनजान नंबर से एक कॉल आया. सूचना यह दी गई थी कि शिव नगर निवासी बंटू सिकरवार के घर से चार दिन पहले यानि कि गोली की आवाज सुनाई दी. उसके बाद से ही उनकी 19 वर्षीय बेटी दिव्या सिकरवार नजर नहीं आ रही है. सूचना के तुरंत बाद ही पुलिस एक्टिव हुई और सिविल लाइन थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने तत्काल शिव नगर स्थित बंटू सिकरवार के घर पहुंच कर देखा तो घर खाली था.

मौसम | कई जिलों में आज दोपहर से मौसम बदलने का अनुमान

बारिश की संभावना, कुछ जिलों में हल्की आंधी

भोपाल,28 सितम्बर. मध्यप्रदेश के कई जिलों में आज दोपहर से मौसम बदलने का अनुमान है. पश्चिम और मध्य जिलों में मध्यम गरज के साथ बारिश की संभावना है, जबकि कुछ दक्षिण-पश्चिमी जिलों में हल्की आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग ने बताया कि बड़वानी, बावनगजा, खंडवा, ओंकारेश्वर, देवास, सीहोर, हरदा और अलीराजपुर जिलों में बिजली/बारिश के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि यह गतिविधि मुख्य रूप से दोपहर के समय देखने को मिल सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिजली गिरने और तेज हवा के लिए सतर्क रहें. किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे हल्की आंधी और बारिश के चलते खेतों और फसलों की सुरक्षा के इंतजाम कर लें. बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान के जोखिम को देखते हुए सभी नागरिक सतर्क रहें. चालकों को सड़क पर फिसलन और जलजमाव के लिए धीमी गति से चलाने की सलाह दी गई है.

खरगोन, महेश्वर, बुरहानपुर, धार, मांडू, इंदौर, एपी, झाबुआ, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, बैतूल, मंदसौर, गांधी सागर व नीमच जिलों में बिजली बारिश के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन जिलों के निवासियों से बाहर निकलते समय सतर्क रहने और कमजोर संरचनाओं के पास न खड़े होने की सलाह दी है. दोनों प्रकार की मौसम गतिविधियां मुख्य रूप से दोपहर के समय अनुमानित हैं. सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की चेतावनी दी गई है.

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी-54 और सी-55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत

अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित ऋणदाताओं से कहा गया है कि वे संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें. नीचे हस्ताक्षरकर्ता का मानना है कि ऋणकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा संलग्न और चिपकाने से प्रभावित हो रही है. मांग नोटिस की सामग्री नीचे उद्धृत की गई है :-

क्र.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	ऋण राशि	डिमांड नोटिस की तिथिएवं बकाया राशि	संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता संख्या: HL05UJJ000051117** **1. श्री/श्रीमती अमजद खान, 2. श्री/श्रीमती शमीम खान** **पता-** वार्ड 02 ट्यूबेल के पास, अर्जुन नगर कॉलोनी, आगर मालवा, शाजापुर, ट्यूबेल के पास, आगर, मध्य प्रदेश-465441. **अन्य पते-** भूमि सर्वेक्षण संख्या 1640/1/1 पीएचएन 12 गोपाल बाग कॉलोनी, आगर रोड, मंदिर आगर-465441.	रु. 20,00,000/-	15.09.2025 रु. 10.09.2025 तक रु. 20,89,319/- (रु. बीस लाख नवासी हजार तीन सौ उन्नीस मात्र)	**स्थल के अनुसार पता-** भूमि का एक भाग, क्रमांक 1620/पंच संख्या 12, गोपाल बाग कॉलोनी, उज्जैन रोड के किनारे, कस्बा आगर आगर आगर - 465441, मध्य प्रदेश. **दस्तावेज़ के अनुसार पता-** भूमि सर्वेक्षण संख्या 1640/1/1, पीएचएन 12, गोपाल बाग कॉलोनी आगर रोड, मंदिर, आगर. **सीमाएँ- योजना/विलेख/लेआउट के अनुसार- पूर्व-** सरकारी भूमि, **पश्चिम-** सड़क, **दक्षिण-** महमूदा बी का प्लॉट/हामिद खान की भूमि, **उत्तर-** भूरी बाई का प्लॉट/पटवाले का प्लॉट. **वास्तविक स्थल के अनुसार- पूर्व-** सरकारी जमीन और तालाब, **पश्चिम-** सड़क, **दक्षिण-** महमूदा बी का प्लॉट/हामिद खान की जमीन, **उत्तर-** भूरी बाई का प्लॉट/पटवाले का प्लॉट.

उधारकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और खर्चों के साथ भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक करें. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई सुरक्षित संपत्ति है. यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. सुरक्षित ऋणदाता को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित ऋणदाता को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित ऋणदाता के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है (ए), सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है. डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और ऋणदाता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान : आगर, मध्यप्रदेश — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक :- 15-9-2025 — **चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010.

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	32769440000410 और 32769410000252	1. श्री वीरेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह 2. श्रीमती लाड कुंवर पत्नी वीरेन्द्र सिंह	19-11-2024	20-8-2025	रु. 6,64,772.21/- (रु. छह लाख चौंसठ हजार सात सौ बहत्तर और पैसा इक्कीस मात्र) 8-9-2025 को	4-10-2025 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 6.56.250.00/- (रु. छह लाख छप्पन हजार दो सौ पचास मात्र)	रु. 65,625/- (रु. पैंसठ हजार छह सौ पच्चीस मात्र)	30-10-2025 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	29-10-2025 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4 स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इन्दौर-452010.
	संपत्ति विवरण/अनुसूची- भूखंड संख्या 416/1 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफुट है और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, खसरा संख्या 1753, पीएच. संख्या 39 का एक भाग, ग्राम नांदेड़ में, ग्राम पंचायत नांदेड़, जनपद पंचायत तराना, तहसील तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. सीमा- पूर्व में- मोहन सिंह का मकान, पश्चिम में- आम सड़क, उत्तर में- आम सड़क और दक्षिण में- दिनेश जे का मकान.									
2.	45589630000201	1. श्री ईश्वर लाल राठौड़ आत्मज मांगीलाल (चूंकि मृतक उसका प्रतिनिधित्व करता है एलआर का) (क) श्रीमती सविता बाई पत्नी स्वर्गीय ईश्वर लाल (ख) श्री चेतन राठौड़ पुत्र स्वर्गीय ईश्वर लाल (ग) श्री अरुण आत्मज स्व. ईश्वर लाल (2) श्रीमती सविता बाई पत्नी ईश्वर लाल (3) श्री चेतन राठौड़ पुत्र ईश्वर लाल	24-5-2024	25-7-2025	रु. 6,18,572.40/- (रु. छह लाख अट्ठारह हजार पांच सौ बहत्तर और पैसा चालीस मात्र) 3-9-2025 को	4-10-2025 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 5,06,625/- (रु. पांच लाख छह हजार छह सौ पच्चीस मात्र)	रु. 50,662.50 (रु. पचास हजार छह सौ बांसठ और पैसा पचास मात्र)	30-10-2025 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	29-10-2025 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4 स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इन्दौर-452010.
	संपत्ति विवरण/अनुसूची- प्लॉट संख्या 276 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 1225 वर्ग फुट (113.84 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. सर्वे संख्या 413/1, ग्राम बेदावन्या में स्थित है. पीएच संख्या 28, ग्राम पंचायत बेदावन्या की सीमा के भीतर. तहसील खाचरोद और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) । सीमा- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- सरदार खां का प्लॉट, उत्तर में- मुकेश मांगीलाल का मकान और दक्षिण में- प्रकाश रामलाल का मकान.									

संपत्तियाँ 'जहाँ है जैसी है' और 'जो है जैसी है जैसी है' के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी. उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्या- 8712637550 । ईमेल आईडी- info@bankauctions.in / vikas@bankauctions.in. ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियम व शर्तों की अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, इन संपत्तियों पर कोई भार नहीं है. हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर लेनी चाहिए. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी. यह उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में भी एक सूचना है. उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित का भुगतान करें. ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा.

दिनांक- 29-9-2025, स्थान- इन्दौर — **ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**